हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–108/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण नशामुक्ति और पुर्नवास) विधेयक 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2
निवारक उपाय

3. नियन्त्रित पदार्थों आदि के निवारण और दुरूपयोग रोकने तथा अवैध तस्करी हेतु सरकार द्वारा उपाय करना।

अध्याय–3
मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि

4. मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि।

अध्याय–4
प्रतिषेध, नियन्त्रण और विनियमन

5. कतिपय प्रचालनों का प्रतिषेध।

अध्याय–5
अपराध और शास्तियां

6. नियन्त्रित पदार्थों के सम्बन्ध में उल्लंघन हेतु दण्ड।
7. बच्चों को मादक पदार्थ बेचने का अपराध।
8. विधालयों के समीप अपराधों के लिए बर्धित शास्तियां।
9. किसी अपराध को करने हेतु प्रयोग मे लाए जाने वाले परिसर आदि को अनुज्ञात करने हेतु दण्ड।
10. अवैध तस्करी और अपराधियों को शरण देने हेतु वित्तपोषित करने के लिए दण्ड।
11. दुष्प्रेरण और आपराधिक षड़यन्त्र हेतु दण्ड।
12. पूर्ववर्ती दोषसिद्वि के पश्चात अपराधों के लिए बर्धित दण्ड।
13. ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए कोई दण्ड उपबन्धित नहीं है।
14. इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी सजा मे कोई निलम्बन, क्षमा या लघुकरण नहीं।
15. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा।
16. विशेष न्यायालयों का गठन।
17. साक्षियों का संरक्षण
18. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।
19. कतिपय अपराधियों को परिवींक्षा पर मुक्त करने हेतु न्यायालय की शक्ति।

अध्याय–6
प्रक्रियाएं

20. अभिग्रहण करने की प्रक्रिया।
21. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।

अध्याय–7
नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

22. नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने की सरकार की शक्ति।
23. मानक और विनियमन।
24. अनुश्रवण और मूल्यांकन।
25. सामुदायिक भागीदारी और समर्थन।
26. विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम।

अध्याय–8
प्रकीर्ण

27. सदभाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
28. सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
29. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
30. अन्य विधियों की व्यावृत्तियां।

————————

हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

मादक पदार्थों और नियन्त्रित पदार्थों के दुरूपयोग को नियन्त्रित करने, विनियमित करने और रोकने तथा व्यसनियों के पुनर्वास हेतु नशामुक्ति केन्द्रों को स्थापित करने और उससे सम्बद्व और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसे दिवस को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**——इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "व्यसनी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मादक पदार्थों और नियन्त्रित पदार्थों का व्यसनी है किन्तु जो उनके विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात में सम्मिलित नहीं है;

(ख) "वाणिज्यिक, अधिक और अल्पमात्रा" से ऐसी मात्रा अभिप्रेत जैसी इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में "उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विधिमान्य चिरभोग (पर्ची) या अनुज्ञप्ति के बिना नियन्त्रित पदार्थों का प्रसंस्करण, क्रय परिवहन, आयात, निर्यात या प्रयोग करता है;

(घ) "नियन्त्रित पदार्थ" से मादक पदार्थ सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो व्यसन हेतु इसकी सम्भावना की बाबत विहित किया जाए;

(ङ) "वाहन" से किसी भी प्रकार का वाहन अभिप्रेत है और इसमें कोई पशु, हवाई जहाज या यान (दो या तिपहियां सहित) या जहाज आदि भी है;

(च) "मादक पदार्थ" से कोई ऐसा मादक पदार्थ अभिप्रेत है जो इसकी वृद्धि की संभावना की बाबत विहित किया जाए;

(छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) ''नियन्त्रित पदार्थों के सम्बन्ध में "अवैध तस्करी" से नियन्त्रित पदार्थों का उत्पादन, प्रसंरकरण, विक्रय, क्रय, परिवहन, भण्डारण, आवरण, प्रयोग या उपभोग अन्तराज्यिय आयात या निर्यात और नियन्त्रित पदार्थों की किसी अन्य गतिविधि का प्रयोग करना अभिप्रेत है;

(झ) "अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी" से ऐसे व्यापारी अभिप्रेत है जिनके पास मादक पदार्थो की अनुज्ञप्ति या नियन्त्रित पदार्थो का स्टॉक रखने और विक्रय करने की व्यापार अनुज्ञप्ति हो या जो वर्णित पदार्थों के विक्रय हेतु व्यापार अनज्ञप्ति के धारक हों।

(ञ) नियन्त्रित पदार्थ के सम्बन्ध में "विनिर्माण" के अन्तर्गत—

(i) उत्पादन से अन्यथा समस्त प्रकियाएं है जिनके द्वारा ऐसे पदार्थ अभिप्राप्त किए जाएं;

(ii) ऐसे पदार्थों का पुनर्संस्करण;

(iii) ऐसे पदार्थों का प्रारूपण; और

(iv) ऐसे पदार्थो से या अन्तर्विष्ट किसी पदार्थ का समिश्रण (किसी फार्मेसी में चिरभोग (पर्ची) से अन्यथा);

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''किसी नियत्रित पदार्थ के सम्बन्ध में "समिश्रण" से खुराक के प्रारूप में कोई एक या ऐसे अधिक पदार्थ या कोई घोल या मिश्रण जो किसी भी भौतिक स्थिति का हो एक या अधिक ऐसे पदार्थो से अन्तर्विष्ट सम्मिश्रण अभिप्रेत है;

(ढ) ''लोक सेवक'' से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उपधारा (28) के अधीन यथा परिभाषित अभिप्रेत है; और

अध्याय–2

निवारक उपाय

3. नियंत्रित पदार्थों आदि के निवारण और दुरूपयोग रोकने तथा अवैध तस्करी हेतु सरकार द्वारा उपाय करना.––(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सरकार समस्त ऐसे उपाय करेगी जो यह नियंत्रित पदार्थों और उनकी अवैध तस्करी के निवारण तथा उसके दुरूपयोग को रोकने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाय जो सरकार इस उपधारा के अधीन ले सकेगी के अन्तर्गत निम्नलिखित समस्त या किसी एक विषय की बाबत उपाय सम्मिलित है, अर्थातः–

(क) इस अधिनियम के अधीन विभिन्न अधिकारियों, विभागों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा–

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्रवाई का समन्वय;

(ख) व्यसनियों की पहचान, उपचार, विषहरण, शिक्षा, उचित देखभाल, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण, पीढ़ीबार जागरूकता, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सर्वेक्षण आदि;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित् करने तथा नियंत्रित पदार्थों और उसकी अवैध तस्करी के निवारण और उनका दुरूपयोग रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य मामले, जो सरकार अनिवार्य या समीचीन समझें।

(3) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो यह राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसी शक्तियां और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए ऐसा नाम या ऐसे नामों का प्राधिकरण या प्राधिकारियों के पदानुक्रम को गठित कर सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ठ किया जाए और उपधारा (2) में संदर्भित ऐसे मामलों की बाबत उपाय कर सकेगी, जैसे अधिसूचना में और सरकार के पर्येवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसी अधिसूचना के उपबंधो के अध्यधीन वर्णित किए जाय ऐसे प्राधिकरण अधिसूचना में इस प्रकार वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उपाय कर सकेंगे मानो ऐसा प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे उपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए हों।

मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि

4. मादक पदार्थ व्यसनी आदि की नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राज्य निधि.——(1) सरकार द्वारा व्यसनियों आदि के पुनर्वास के लिए एक निधि, जिसे राज्य निधि के नाम से जाना जाए, का गठन किया जाएगा और इसे ऐसी रीति में उपयोग और प्रबंधित किया जाएगा, जैसी मादक पदार्थो की मांग कम करने, उसका उपचार करने, विषहरण/नशामुक्ति, व्यसनियों का पुनर्वास, सरंक्षित शिक्षा और जागरूकता, क्षमता निर्माण, असुरक्षित क्षेत्रों में केन्द्रीय दखल, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुर्व व्यसनियों के जीवन समर्थन, सर्वेक्षण अध्ययन मूल्यांकन और अनुसंधान आदि के लिए सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) सरकार, राज्य सरकार या यथास्थिति, राज्य या केंद्रीय सरकार अनुदान, दान जुर्माना या निगमित सामाजिक उतरदायित्व (सी0एस0आर) द्वारा उपबंधित निधियों का और राज्य निधि के अन्य सुसंगत अभिलेखों का समुचित लेखा अनुरक्षित करेगी तथा इसके अतिरिक्त आय और व्यय लेखों को भी ऐसे प्रारूप में अनुरक्षित करेगी जैसी सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए।

(3) राज्य निधि के लेखो की सम्परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालो पर की जाएगी जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी सम्परीक्षा (लेखा परीक्षा) के संबंध में उनके द्वारा उपगत किसी व्यय को राज्य निधि से भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को संदेय होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखाकार और राज्य निधि के लेखों की सम्परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी सम्परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखों की सम्परीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के पास है और विशिष्टतया लेखा वहीयों को प्रस्तुत करने की मांग करने से संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और पत्र तथा राज्य निधि के किसी भी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा।

अध्याय–4

प्रतिषेध, नियंत्रण विनियमन

5. कतिपय प्रचालनों का प्रतिषेद्य.——कोई भी व्यक्ति औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और किसी विधि, जैसी विहित की जाए, के अधीन किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय, विक्रय के लिए भण्डारण, व्यापार या परिवहन नही करेगाः

परन्तु अधिनियम के अन्य प्रयोजनों के अध्यधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी की वैध चिरभोग (पर्ची) के साथ चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सत्यापन योग्य मात्रा का अधिग्रहण अनुज्ञेय होगा।

अध्याय– 5

अपराध और शास्तियां

6. नयंत्रित पदार्थो के संबंध में उल्लंघन हेतु दण्ड।.——(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में जो कोई भी नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करता हैः–

(क) अल्पमात्रा अंतर्वलित है, तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जो दो वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जिसे पांच वर्ष तक वढाया जा सकेगा और वह जुर्माने के संदाय के लिए भी दायी होगा जो बीस हजार रूपये से कम का नही होगा किन्तु जिसे पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा;

(ख) अधिक मात्रा अंतर्वलित है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास के लिए दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक वढाई जा सकेगी और जुर्माना संदाय करने का भी दायी होगा जो पचास हजार से कम का नही होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक का बढ़ाया जा सकेगा;

(ग) वाणिज्यक मात्रा अंतर्वलित है तो वह ऐसी अवधि में कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जो दस वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जिसे पद्रंह वर्ष तक वढाया जा सकेगा और जुर्माने के संदाय का भी दायी होगा जो एक लाख रूपये से कम का नही होगा किन्तु जिसे दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु कोई ऐसा व्यसनी जो खण्ड (क) के अधीन प्रथम वार के लिए दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या अनुरक्षित किसी संस्थान से नशा मुक्ति हेतु चिकित्सा उपचार करने के लिए स्वैच्छिक रूप से वांच्छा रखता है और पूर्ण उपचार लेता है तो वह उक्त खण्ड के अधीन अभियोजन के लिए दायी नही होगा।

(2) यदि कोई लोक सेवक इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास के लिए दण्डनीय होगा जो ऐसे दण्ड की अवधि के डेढ़ गुणा तक बढाई जा सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो जुर्माने की रकम के ढेड गुणा तक बढाया जा सकेगा।

7. बच्चों को नियंत्रित पदार्थ विक्रय करने का अपराध.––कोई व्यक्ति जो अठारह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यष्टि को नियंत्रित पदार्थ को विक्रय या पूर्ति करता है तो वह कठोर करावास से, दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा जिस की अवधि करावास की अवधि से डेढ़ गुणा होगी, और जुर्माना, जो जुर्माने की रकम का डेढ़ गुणा होगा, से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–पूर्ति पद के अन्तर्गत ऐसे पदार्थों की चाहे आर्थिक लाभ या किसी अन्य कारण से व्यवस्था करने, दान देने या अन्यथा उपलब्ध करवाने का कोई कृत्य है।

8. शैक्षणिक संस्थानों के समीप अपराधों के लिए बर्धित शास्तियां।––(1) किसी स्कूल, महाविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की सीमा से पांच सौ मीटर के भीतर का क्षेत्र नियंत्रित पदार्थ सम्बन्धित क्रियाकलापों की रोकथाम करने के लिए अधिक निगरानी वाला, विशेष प्रवर्तन परिक्षेत्र होगा।

(2) यदि विशेष प्रवर्तन परिक्षेत्र के भीतर नियंत्रित पदार्थ का विक्रय या पूर्ति होती है तो अपराधी करावास, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो आजीवन करावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, दायी होगा।

9. किसी अपराध को करने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले परिसर आदि को अनुज्ञात करने हेतु दण्ड.––जो कोई भी, किसी मकान, कमरा, अहाता, जगह, स्थान, पशु या वाहन का स्वामी या में रहने वाला अथवा के नियंत्रण या उपयोग में है अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दण्डनीय किसी अपराध को करने के लिए इसका प्रयोग किए जाने के लिए जानबूझ कर अनुज्ञा देता है तो वह करावास, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पचास हजार से कम नहीं होगा परन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

10. अवैध तस्करी और अपराधियों को शरण देने हेतु वित्तपोषित करने के लिए दण्ड.–– जो कोई भी धारा 2 के खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलापों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषित करने में लगा हुआ है या उपर्युक्त उल्लिखित किन्ही क्रियाकलापों में लगे हुए किसी व्यक्ति को शरण देता है तो वह कठोर करावास, जो दस वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा भी दायी होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में कारणों को अभिलिखित करके पांच लाख रूपये से अन्यून जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

11. दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयंत्र हेतु दण्ड.——जो कोई भी, इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने में दुष्प्रेरणा करता है या आपराधिक षडयंत्र में पक्षकार है चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में किया गया है या नहीं किया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अपराध हेतु उपबंधित दण्ड से, दण्डनीय होगा।

12. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए बर्धित दण्ड.——कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने हेतु आपराधिक षडयंत्र करने या प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के लिए उसी दण्ड सहित दोषसिद्ध पाया गया है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठोर करावास, जो दण्ड की अधिकतम अवधि से डेढ गुणा हो सकेगा और जुर्माने, से जो जुर्माने की अधिकतम रकम का डेढ गुणा होगी, से भी दायी होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में कारणें को अभिलिखित करके जुर्माना जिसके लिए व्यक्ति दायी है से अधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी।

13. ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए कोई दण्ड उपबंधित नहीं है.——जो कोई भी इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में पृथक्तया कोई दण्ड उपबंधित नहीं किया गया है तो वह करावास, जो छः मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो पचीस हजार रूपये हो सकेगा या दोनो से, दण्डनीय होगा।

14. इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी सजा में कोई निलम्बन, क्षमा या लघुकरण नहीं.——भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम में दी गई सजा निलंबित, क्षम्य या लघुकृत नहीं की जाएगी।

15. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा.——(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है तो न्यायालय ऐसी आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करेगी परन्तु अभियुक्त को प्रतिरक्षा में यह साबित करना होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में अधिरोपित कृत्य की बाबत उसकी कोई आपराधिक मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण :–इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा में आशय, हेतु, तथ्य का ज्ञान और विश्वास या तथ्य में विश्वास करने का कारण, सम्मिलित है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए तथ्य केवल तभी साबित हुआ कहा जायेगा जब न्यायालय इसे युक्तियुक्त संदेह से परे अस्तित्व में होने का विश्वास करती है न केवल जब इसका अस्तित्व प्रायिकता अर्थ की प्रबलता द्वारा सिद्ध होता है।

16. वशेष न्यायालयों का गठन.——(1) सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन हेतु सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबन्ध (जमानतपत्र के उपबंधो सहित) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यावाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के

प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जायेगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक समझा जाएगाः

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन पुलिस के उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा संस्थित नही किया जाएगा।

17. साक्षियों का संरक्षण .—(1) विशेष न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन मामलों में शामिल साक्षियों के संरक्षण को प्रदान करने का आदेश देने का प्राधिकार होगा जिसमें उपाय जैसे कि गुमनामी, पुलिस संरक्षण और पुनःस्थान निर्धारण यदि आवश्यक हो, है।

(2) सरकार उन व्यक्तियों जो नियंत्रित पदार्थ सम्बन्धित अपराधों के अभियोजन में उनके शामिल होने के कारण जोखिम में हों, की सहायता प्रदान करने के लिए साक्षी संरक्षण कार्यक्रम संस्थित करेगी।

18. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.—(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी0एन0एस0एस0) में अर्न्तविष्ठ किसी बात के होते हुए भीः—

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या उसके निजी बन्दपत्र पर तब तक छोड़ा नही जाएगाः—

(i) जब तक लोक अभियोजक को सुना नही गया हो और ऐसे छोड़े जाने के आवेदन को आक्षेपित करने का अवसर भी न दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का आक्षेप करता है न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विश्वास के समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नही है और यह कि उसके जमानत के दौरान ऐसे किसी अपराध करने की सम्भावना नही है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत को देने की परिसीमाएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी0एन0एस0एस0) या जमानत प्रदान करने पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त है।

19. कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा पर मुक्त करने हेतु न्यायालय की शक्ति.—(1) जब कोई व्यसनी धारा 8 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि किसी न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि अपराधी की आयु, चरित्र, वृतांत या शारीरिक या मानसिक दशा की बाबत यह राय है कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक बार किसी कारावास से दण्डनीय करने के बजाए उस व्यक्ति की सहमति से निदेश दे सकेगा की ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्थान से विषहरण या नशा मुक्ति हेतु चिकित्सा उपचार करवाने के लिए मुक्त कर दिया जाए और न्यायालय के समक्ष छः मास से अनधिक अवधि के भीतर उपस्थित होने तथा उसके उपचार के परिणाम के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसी मध्य ऐसे किसी अपराध को करने से वंचित रहने का निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई उपचार के परिणाम के संबंध में रिपोर्ट की बावत यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय सम्यक डांट फटकार के पश्चात् ऐसे अपराधी को मुक्त करने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी अवधि, जैसी न्यायालय विर्निदष्ट करने हेतु उचित समझे के दौरान किसी अपराध को करने से वांछित करने या ऐसे व्यक्ति की अपराध को करने से वांछित रहने की असफलता दर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर दण्ड प्राप्त करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

अघ्याय–6

प्रकियाएँ

20. अभिग्रहण करने की प्रक्रिया.––(1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में यदि कोई अभियुक्त दोषसिद्व या दोष मुक्त अथवा मुक्त हो गया है तो न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या सामाग्री इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी है, यदि यह विनिश्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार की दायी है कि यह तद्नुसार अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की गई कोई सामग्री या वस्तु इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत करने हेतु दायीं किए जाने हेतु प्रतीत होती है किन्तु उससे सम्बन्ध कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है ज्ञात नही है या उसे ढूंडा नही जा सकता तो न्यायालय जांच कर सकेगा और ऐसे दायित्व के विनिश्चित कर सकेगा और तद्नुसार अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा :

परन्तु किसी सामग्री या वस्तु के अभिग्रहण का आदेश तब तक नही किया जायेगा जब तक अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवसान न हो जाए या उस व्यक्ति की सुनवाई के बिना जो उससे किसी अधिकार का दावा न कर सके और साक्ष्य यदि कोई हो वह अपने दावे की बाबत प्रस्तुत न कर दे:

परन्तु यह और कि नियन्त्रित पदार्थ से अन्यथा कोई ऐसी सामग्री या वस्तु या यदि न्यायालय की राय है कि इसकी बिक्री इसके स्वामी के लाभ के लिए होगी तो यह किसी भी समय इसकी बिक्री हेतु निदेश दे सकेगा और इस उपधारा के उपबंध यथासाध्य शीघ्र विक्रय की कुल लागत के लिए लागू होंगे।

21. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति.––इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की प्रक्रिया से सम्बन्धित अध्याय 5 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन लागू होंगे।

अध्याय–7

नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्रो की स्थापना

22. नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने की सरकार की शक्ति.––(1) सरकार संपूर्ण राज्य में मादक पदार्थ व्यसन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पहचान दिलवाने, उपचार देने, विषहरण, परामर्श देने और सामाजिक पुनः एकीकरण सेवाएं आदि प्रदान करने के लिए इतने नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्र स्थापित तथा अनुरक्षित करने की शक्ति होगी, जितने यह उचित समझे और ऐसे केन्द्र, यथास्थिति, निजी संगठनो, गैर सरकारी संगठनों, (एन जी ओज) और अन्तराष्ट्रीय निकायों के सहयोग से प्रबंधित तथा स्थापित किये जाएंगे।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबंधन और अधीक्षण और ऐसे केन्दों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां, कर्तव्य और उससे सम्बन्धित ऐसे मामले ऐसी रीति में होंगे, जैसी विहित की जाए।

23. मानक और विनियमन.––राज्य सरकार कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं, चिकित्सा की गुणवता और मनोवैज्ञानिक देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षण हेतु प्रसुविधाओं की उपलब्धता सहित पुनर्वासन केन्द्रों के संचालन हेतु न्यूनतम मानक विहित करेगी। पुनर्वास केन्द्र इन मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निकायों द्वारा नियमित निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

24. अनुश्रवण और मूल्यांकन.––पुनर्वासन केन्दों की प्रभावित नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मॉनीटर की जाएगी जिसके अन्तर्गत उपचार के परिणाम का निर्धारण, रोगी का समाधान तथा पुनः एकीकरण सफलता दर भी है । राज्य सरकार सुधार तथा विस्तार हेतु सिफारिशों सहित पुनर्वास केन्द्रों के अनुपालन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

25. सामुदायिक भागीदारी और सर्मथन.——राज्य सरकार पुनर्वास केन्द्रों के संचालन और समर्थन प्रदान करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवक, स्थानीय संगठनों तथा स्वस्थ हुए व्यक्ति जो दूसरों को समर्थन कर सकते है की सहभागिता भी है । मादक पदार्थ व्यसन से सहबद्ध कलंक को मिटाने के लिए तथा पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के महत्व को बढ़ाने के लिए लोक जानकारी अभियान संचालित किया जाएगा।

26. विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम.——(1) राज्य सरकार विशिष्ट समूहों जैसे कि महिलाओं, किशोरों, विद्यार्थियों, ट्रांसजेंडरों और मानसिक स्वास्थ्य मनोदशा वाले व्यक्तियों के लिए इन केन्द्रों में विशिष्ट पुर्नवास कार्यक्रम स्थापित कर सकेगी। ये विशिष्ट कार्यक्रम इन समूहों की अनन्य आवश्यकताओं को सम्बोधिंत करेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ तथा पुनः एकीकरण सुकर बनाने के लिए अनुरूप समर्थन प्रदान करेंगे।

(2) सरकार, निवारक शिक्षा, चेतना वृद्धि, सामर्थ्य संवर्धन, मादक पदार्थ व्यसनियों के उपचार, भेद्य क्षेत्रों में गुणवता मानक नियत करने, संकेंद्रित दखल करने, दक्षता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व व्यसनियों की आजीविका, मानक, अध्ययन, मूल्यांकन और अनुसंधान आदि हेतु विशेष उपबंध विहित करेगी।

अध्याय–8

प्रकीर्ण

27. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.——इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए किसी आदेश के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों का प्रयोग या किन्ही कृत्यों का निर्वहन या किन्ही कर्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व नहीं की जाएगी।

28. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.——(1) सरकार, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष जव वह पंद्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व जिसमे यह इस प्रकार रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नही बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी हो या निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

29. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.——(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

30. अन्य विधियों की व्यावृतियां.——इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम में निपटाए गए किन्ही विषयों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त और अल्पीकरण में नहीं होंगे।

उद्देश्यों और कथनों का कारण

मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के बढ़ते खतरे से लोक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न होते हैं। यह विधेयक व्यसनियों के पुनर्वास के उन्नयन और पुनःएकीकरण द्वारा कठोर विधिक उपायों के माध्यम से मादक पदार्थ के दुरुपयोग को नियन्त्रण करने और रोकने हेतु लक्षित है इस विधेयक के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

* सुधारक व्यक्तियों के व्यसन, पुनर्वास, प्रतिरक्षित शिक्षा और अजीविका समर्थन को वित्तपोषित करने हेतु राज्य निधि की स्थापना।
* आदतन अपराधियों के लिए कठोरतम शास्तियों सहित मादक पदार्थ की मात्रा पर आधारित कठिनतम दण्ड।
* अवयस्कों को मादक पदार्थ वितरित करने, शैक्षणिक संस्थानों के समीप तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए परिसरों के प्रयोग हेतु वर्धित शास्तियां।
* अव्यसन और पुनर्वास केन्द्रों का सृजन, सफल पुनः एकीकरण हेतु विषहरण, परामर्श, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
* मादक पदार्थों से सम्बन्धित गवाही को प्रोत्साहित करते हुए एकांतवास, पुनः स्थापन और पुलिस प्रतिरक्षा सुनिश्चित करते हुए साक्षी संरक्षण उपाय।
* दक्ष कानूनी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करते हुए मादक पदार्थ से सम्बन्धित अपराधों के विचारण में तीव्रता लाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना।

यह विधेयक दाण्डिक, प्रतिरक्षित और पुनर्वासित सोच का संगम है और यह मादक पदार्थ की मांग को कम करने तथा सुधार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु लक्षित है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने हेतु लोक सुरक्षा और सामुदायिक समरसता को सुनिश्चित करते हुए विधिक, सामाजिक और वित्तीय रूपरेखा सुदृढ़ होगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कर्नल (डॉ0) (धनी राम शांडिल)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख....., 2025.

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य –

———————

प्रत्यायोजित विधान संबधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 28 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH DRUGS AND CONTROLLED SUBSTANCES (PREVENTION, DE-ADDICTION AND REHABILITATION) BILL, 2025

ARRANGEMENTS OF CLAUSES

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
PREVENTIVE MEASURES

3. Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in controlled substances, etc.

CHAPTER –III
STATE FUND FOR DE-ADDICTION AND REHABILITATION OF ADDICTS

4. State Fund for de-addcition and rehabilitation of drug addicts etc..

CHAPTER-IV
PROHIBITION, CONTROL AND REGULATION

5. Prohibition of certain operations.

CHAPTER-V
OFFENCES AND PENALTIES

6. Punishment for contravention in relation to controlled substances.
7. Offence of selling controlled substance to children.
8. Enhanced penalties for offences near educational institutions.
9. Punishment for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence.
10. Punishment for financing illicit traffic and harbouring offenders.
11. Punishment for abetment and criminal conspiracy.
12. Enhanced punishment for offences after previous conviction.
13. Punishment for offence for which no punishment is provided.
14. No suspension, remission or commutation in any sentence awarded under this Act.
15. Presumption of culpable mental state.
16. Constitution of Special Courts.
17. Protection of witnesses.
18. Offences to be cognizable and non-bailable.
19. Power of Court to release certain offenders on probation.

CHAPTER-VI
PROCEDURES

20. Procedure in making confiscation.
21. Power of entry, search and seizure.

CHAPTER-VII
ESTABLISHMENT OF DE-ADDICTION AND REHABILITATION CENTRES

22. Power of Government to establish De-addiction and Rehabilitation Centres.
23. Standards and regulation.
24. Monitoring and evaluation.
25. Community involvement and support.
26. Specialised Rehabilitation Programmes.

CHAPTER-VIII
MISCELLANEOUS

27. Protection of action taken in good faith.
28 Power to make rules.
29. Power to remove difficulties.
30. Act not in derogation of any other law.

THE HIMACHAL PRADESH DRUGS AND CONTROLLED SUBSTANCES (PREVENTION, DE-ADDICTION AND REHABILITATION) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to control, regulate and prevent the abuse of drugs and controlled substances and to establish de-addiction centres, for the rehabilitation of addicts and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sseventy-sixth Years of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Drugs and Controlled Substances (Prevention, De-addicition and Rehabilitation) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such day as the State Government may by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "addict" means a person who has dependence of any drugs and controlled substance, but is not involved in their manufacturing, selling, transporting, importing or exporting;
(b) "commercial, large and small quantity" in relation to controlled substance, means any quantity as notified by the Government keeping in view the nature of substance;
(c) "consumer" means in relation to any person who possesses, sells, purchases, transports, imports, exports or uses controlled substance without valid prescription or license;
(d) "controlled substance" means any such substance including a drug, as may be prescribed, having regard to its potential for addition;
(e) "conveyance" means a conveyance of any description whatsoever and includes any animal, aircraft, vehicle or vessel, etc;
(f) "drug" means any drug as may be prescribed having regard to its potential for addiction;
(g) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
(h) "illicit traffic" in relation to controlled substances means production, possession, sale, purchase, transportation, warehousing, concealment, use or consumption, import or export of controlled substances and in dealing with any other activities of controlled substances;
(i) "licensed dealers" means the traders who have the drug license or the trade license to stock and sell the controlled substances or the holders of trade license to sell such substances;
(j) "manufacture", in relation to controlled substance, includes—
    (i) all processes other than production by which such substances may be obtained;
    (ii) refining of such substances;
    (iii) transformation of such substances; and
    (iv) making of preparation (otherwise than in a pharmacy on prescription) with or containing such drugs or substances;
(k) "notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(m) "preparation" in relation to a controlled substance, means any one or more such substances in dosage form or any solution or mixture, in whatever physical state, containing one or more such substances; and
(n) "public servant" means a public servant as defined under clause (28) of section 2 of the *Bharatiya Nyaya Sanhita*, 2023.

CHAPTER-II
PREVENTIVE MEASURES

3. Government to take measures for preventing and combating abuse of and illicit traffic in controlled substances, etc.— (1) Subject to the provisions of this Act, the Government shall take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of preventing and combating abuse of controlled substances and the illicit traffic therein.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures which the Government may take under this sub-section include measures with respect to all or any of the following matters, namely: -

(a) co-ordination of action by various officers, departments and other authorities-

(i) under this Act; or

(ii) under any other law for the time being in force in connection with the enforcement of the provisions of this Act;

(b) identification, treatment, detoxification, education, after care, rehabilitation and social re-integration of addicts, awareness generation, skill development, vocational training, surveys etc.;

(c) such other matters as the Government deems necessary or expedient for the purpose of securing the effective implementation of the provisions of this Act and preventing and combating the abuse of controlled substances and illicit traffic therein.

(3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purposes of this Act, by notification, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, constitute an Authority or a hierarchy of authorities, by such name or names as may be specified in the notification for the purpose of exercising such of the powers and functions of the Government under this Act and for taking measures with respect to such of the matters referred to in sub- section (2) as may be mentioned in the notification, and subject to the supervision and control of the Government and the provisions of such notification, such authority or authorities may exercise the powers and take the measures so mentioned in the notification as if such authority or authorities has been empowered by this Act to exercise those powers and take such measures.

CHAPTER –III
STATE FUND FOR DE-ADDICTION AND REHABILITATION OF ADDICTS

4. State Fund for de-addcition and rehabilitation of drug addicts etc.— (1) There shall be constituted a Fund to be called the State Fund for rehabilitation of addicts by the Government and shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed by the Government for drug demand reduction, treatment, detoxification/de-addiction, rehabilitation of addicts, preventive education and awareness, capacity building, focused intervention in vulnerable areas, skill development, vocational training and livelihood support of ex- addicts, surveys, studies, evaluation and research etc.

(2) The Government shall maintain proper accounts of funds or grants provided by the State Government or Central Government, donations, fine under Corporate Social Responsibility (CSR), as the case may be and other relevant records of the State Fund including the income and expenditure accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The accounts of the State Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him.

(4) The Comptroller and Auditor-General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Fund shall have the same rights, privileges and authority

in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts, and in particular, shall have right to demand production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Fund.

CHAPTER-IV
PROHIBITION, CONTROL AND REGULATION

5. Prohibition of certain operations.—No person shall sell, stock for sale, trade or transport in any controlled substance without a valid license under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and any law, as may be prescribed:

Provided that, and subject to the other provisions of the Act, the possession of verifiable quantities for medicinal purposes with a valid prescription of registered Medical practitioner or Medial Officer shall be permissible.

CHAPTER-V
OFFENCES AND PENALTIES

6. Punishment for contravention in relation to controlled substances.—(1) Whoever, in contravention of any provision of this Act, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, imports, exports controlled substance —

(a) involves small quantity, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend to five years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees;

(b) involves large quantity, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but may extend up to seven years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than fifty thousand rupees but may extend to one lakh rupees;

(c) involves commercial quantity, with rigorous imprisonment which shall not be less than ten years but may extend up to fourteen years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to two lakh rupees:

Provided that any addict, who is charged with an offence punishable under clause (a) for the first time, voluntarily seeks to undergo medical treatment for de-addiction from a hospital or an institution maintained or recognised by the Government and undergoes complete treatment shall not be liable to prosecution under the said clause:

(2) If the public servant contravenes any provisions of this Act, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the term of punishment, and also be liable to fine, which shall extend to one and half times of the amount of fine.

7. Offence of selling controlled substance to children.— Any person who sells or supplies controlled substance to any individual under the age of eighteen years, shall be guilty of an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times

of the term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the amount of fine.

***Explanation.*—**The term supply shall include any act of providing, gifting, or otherwise making available such substances whether for monetary gain or any other reason.

8. Enhanced penalties for offences near educational institutions.—(1) The area within 500 meters from the boundary of any school, college, or educational institution shall be a special enforcement zone, with increased surveillance to deter controlled substance related activities.

(2) If the sale or supply of controlled substance takes place within special enforcement zone, the offender shall be liable to imprisonment for a term not less than ten years, which may extend to life imprisonment, and a fine not less than two lakh rupees.

9. Punishment for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence.—Whoever, being the owner or occupier or having the control or use of any house, room, enclosure, space, place, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for the commission by any other person of an offence punishable under any provision of the Act, shall be punishable with imprisonment for a term not less than five years but may extend to ten years and fine which shall not be less than fifty thousand but may extend to one lakh rupees.

10. Punishment for financing illicit traffic and harbouring offenders.—Whoever indulges in financing, directly or indirectly, any of the activities specified in clause (j) of section 2 or harbours any person engaged in any of the aforementioned activities, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine not less than five lakh rupees.

11. Punishment for abetment and criminal conspiracy.—Whoever abets, or is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable under this chapter, shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment or in pursuance of such criminal conspiracy and notwithstanding anything contained in section 56 of the *Bhartiya Nyaya Sanhita*, punishable with punishment provided for the offence.

12. Enhanced punishment for offences after previous conviction.—Any person who has been convicted of the commission of, or attempt to commit, or abetment of, or criminal conspiracy to commit, an offence punishable under this Act with the same amount of punishment shall be punished for the second and every subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the maximum term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the maximum amount of fine:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding the fine for which a person is liable.

13. Punishment for offence for which no punishment is provided.—Whoever contravenes any provisions of this Act or any rule or order made thereunder for which no punishment is separately provided in this chapter, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

14. No suspension, remission or commutation in any sentence awarded under this Act.—Notwithstanding anything contained in the *Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita* or any other law for the time being in force, and save as otherwise provided in this Act, no sentence awarded under this Act shall be suspended, remitted or commuted.

15. Presumption of culpable mental state.—(1) In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state of the accused, the court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

Explanation:-In this section "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact and belief in, or reason to believe a fact.

(2) For the purpose of this section, a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond a reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

16. Constitution of Special Courts.—(1) The Government in consultation with the High Court of Himachal Pradesh may, by notification, designate a Court of Sessions Judge as the Special Court for the purpose of speedy trial of the offences under this Act.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the *Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita* (including the provisions as to bail and bonds) shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the said provisions, the Special Court shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a Special Court, shall be deemed to be a Special Public Prosecutor:

(3) No prosecution under this Act shall be instituted by an officer below the rank of Deputy Superintendent of Police.

17. Protection of witnesses.—(1) The Special Courts shall have the authority to order the protection of witnesses involved in cases under this Act, including measures such as anonymity, police protection and relocation, if necessary.

(2) The Government shall establish a witness protection programme to support individuals who may be at risk due to their involvement in the prosecution of controlled substance related crimes.

18. Offences to be cognizable and non-bailable.—(1) Notwithstanding anything contained in the *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita*, –

a) every offence punishable under this Act shall be cognizable; and
b) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail or on his own bond unless –

(i) the Public Prosecutor has been heard and also given an opportunity to oppose the application for such release; and
(ii) where the Public Prosecutor opposes the application and the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(2) The limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita* or any other law for the time being in force.

19. Power of Court to release certain offenders on probation.—(1) When an addict is found guilty of an offence punishable under section 6, and if the court by which such person is found guilty is of the opinion, regard being had to the age, character, antecedents, or physical or mental condition of the offender, that it is expedient so to do, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing such person at once to any imprisonment, with the person's consent, direct that such person be released for undergoing medical treatment for detoxification or de-addiction from a hospital or an institution maintained or recognized by the Government, and to appear and furnish before the court within a period not exceeding six months, a report regarding the result of his treatment and, in the meantime, to abstain from the commission of any offences.

(2) If it appears to the court, having regard to the report regarding the result of the treatment furnished under sub-section (1), that it is expedient to do so, the court may direct the release of the offender after due admonition, and for abstaining from the commission of any offence during such period as the court may deem fit to specify or on such person's failure so to abstain, to appear before the court and receive sentence when called upon during such period.

CHAPTER-VI
PROCEDURES

20. Procedure in making confiscation.—(1) In the trial of offences under this Act, whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing seized under this Act is liable to confiscation and if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly.

(2) Where any article or thing seized under this Act appears to be liable to confiscation under this Act, but the person who committed the offence in connection therewith is not known or cannot be found, the court may inquire into and decide such liability, and may order confiscation accordingly:

Provided that no order of confiscation of an article or thing shall be made until the expiry of one month from the date of seizure, or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence, if any, which he produces in respect of his claim:

Provided further that if any such article or thing, other than controlled substance, or if the court is of opinion that its sale would be for the benefit of its owner, it may at any time direct it to be sold; and the provisions of this sub-section shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of the sale.

21. Power of entry, search and seizure.—Save as otherwise provided in this Act, the provision of chapter V with regard to the procedure of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, shall be applicable under this Act.

CHAPTER-VII
ESTABLISHMENT OF DE-ADDICTION AND REHABILITATION CENTRES

22. Power of Government to establish De-addiction and Rehabilitation Centres.—(1) The Government shall have the power to establish and maintain, as many de-addiction and rehabilitation centres, as it thinks fit, across the State to provide identification, treatment,

detoxification, counselling, social reintegration services, etc. to individuals affected by drug addiction and such centres shall be managed and established in collaboration with private organizations, Non- Governmental Organizations (NGOs), and international bodies, as the case may be.

(2) The establishment, appointment, maintenance, management and superintendence of the centres referred to in sub-section (1) and the appointment, training, powers, duties and persons employed in such centres and all such matters connected thereto, shall be in such manner, as may be prescribed.

23. **Standards and regulation.—**The State Government shall prescribe minimum standards for the operation of rehabilitation centers, including the qualifications of staff, the quality of medical and psychological care, and the availability of facilities for vocational training and education and such rehabilitation centers shall be subject to regular inspections by government-appointed bodies to ensure compliance with these standards.

24. Monitoring and evaluation.—The effectiveness of rehabilitation centers shall be monitored through regular evaluations, including assessments of treatment outcomes, patient satisfaction and re-integration success rates. The State Government shall publish annual reports on the performance of rehabilitation centers, including recommendations for improvements and expansions.

25. Community involvement and support.—(1) The State Government shall encourage community involvement in the operation and support of rehabilitation centers, including the participation of volunteers, local organisations, and recovered individuals who can provide peer support.

(2) Public awareness campaigns shall be conducted to reduce the stigma associated with drug addiction and to promote the importance of rehabilitation and social reintegration.

26. Specialised Rehabilitation Programmes.—(1) The State Government may establish specialised rehabilitation programmes within these centers for specific groups, such as women, juveniles, students, transgender and individuals with co-occurring mental health disorders.

(2) The specialised programs shall address the unique needs of these groups and provide tailored support to facilitate their recovery and reintegration.

(3) The Government shall prescribe special provisions, for preventive education, awareness generation, capacity building, treatment of drug addicts, setting quality standards, focused intervention in vulnerable areas, skill development, vocational training and livelihood support of ex-addicts, surveys, studies, evaluation, research, etc.

CHAPTER-VIII
MISCELLANEOUS

27. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government or any other person exercising any powers or discharging any functions or performing any duties under this Act, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

28. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh; and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

29. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative assembly.

30. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force regulating any of the matters dealt with in this Act except specifically provided therein.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The rising threat of drug abuse and illicit trafficking poses serious risks to public health, social stability, and economic progress. This Bill aims to control and prevent drug abuse through stringent legal measures while promoting rehabilitation and reintegration of addicts.

Key measures in the Bill include:

- Establishment of a State Fund to finance de-addiction, rehabilitation, preventive education, and livelihood support for recovered individuals.
- Harsher punishments based on drug quantity, with stricter penalties for repeat offenders.
- Enhanced penalties for selling drugs to minors, trafficking near educational institutions, and using premises for illegal activities.
- Creation of De-addiction and Rehabilitation Centers offering detoxification, counseling, skill development, and vocational training for successful reintegration.

- Witness protection measures ensuring anonymity, relocation, and police protection to encourage testimony in drug-related cases.

- Introduction of Special Courts to expedite trials for drug-related offences, ensuring efficient judicial processes.

This Bill combines punitive, preventive, and rehabilitative approach, aiming at to reduce drug demand and support recovery efforts. Enacting this Bill will strengthen legal, social, and financial frameworks to curb drug abuse and trafficking, ensuring public safety and community well-being.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Col. (Dr.) DHANI RAM SHANDIL)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The ……, 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 28 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.